न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नखतदान बारहठ आर ए एस

राजस्व अपील / 225 / रा.का.अधि. / 24 / 2013 / बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. चुतराराम पुत्र पदमाराम उम्र 60 वर्ष जाति जाट निवासी सियागपुराम (लीलसर) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर (राज0)	बनाम	1.गुमनाराम पुत्र जगरूपाराम उम्र 50 वर्ष 2.कलुदेवी पत्नी जगरूपाराम उम्र 80 वर्ष जाति जाट निवासी सियागपुरा(लीलसर) तहसील चौहटन जिला बाड़मेर(राज0) 3.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चौहटन जिला बाड़मेर(राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चौहटन के राजस्व आवेदन संख्या 162 / 2012 में निर्णय दिनांक 18.04.2013 ।

उपस्थित

1. वकील श्री हुकमसिंह चौधरी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री बलवन्तसिंह चौधरी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 05.04.2019

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उतरदाता संख्या 01 व 02 अधीनस्थ न्यायालय में इस आशय का आवेदन पेश किया कि उनकी खातेदारी का खसरा संख्या 237 / 156 रकबा 50.06 भूमि आई हुई है और उक्त खसरे में आने–जाने के लिये कोई रास्ता नहीं है और काश्त के समय उतरदातागण के खेत के चारों ओर काश्तकार अपनी भूमि को काश्त कर लेते है जिससे उतरदातागण अपने खेत मे जाने के लिये बाधित होते है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय पेश जवाब में कथित किया कि अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 238 / 156 खेम में से बाहर जाने के लिय 02 बिस्वा भूमि खससर संख्या 284 / 156 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो अपीलांट की खातेदारी भूमि में से गुजरता हुआ उतरदातागण के खसरा संख्या 237 / 156 को जोड़ता है और उतरदातागण द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ में संलग्न नजरी नक्शा में A से B रास्ता चाहा गया है जो गलत रूप से चाहा गया है और उतरदातागण की भूमि में जोने हेतु वैकल्पिक रास्ता

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

खसरा संख्या 284/156 रकबा 02 बिस्वा के रूप में दर्ज है उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर व राजस्व रिकार्ड में दर्ज होते हुए भी इसे अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट तलब की और अपीलांट को सुने बिना उक्त मौका रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित किया।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उपस्थित तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट की खातेदारी के खेत खसरा संख्या 238/156 खेम में से बाहर जाने के लिय 02 बिस्वा भूमि खससर संख्या 284/156 रकबा 02 बिस्वा गैर मुमकिन रास्ता दर्ज है जो अपीलांट की खातेदारी भूमि में से गुजरता हुआ उतरदातागण के खसरा संख्या 237/156 को जोड़ता है और उतरदातागण द्वारा प्रार्थना–पत्र के साथ में संलग्न नजरी नक्शा में A से B रास्ता चाहा गया है जो गलत रूप से चाहा गया है और उतरदातागण की भूमि में जोने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा संख्या 284/156 रकबा 02 बिस्वा के रूप में दर्ज है उक्त वैकल्पिक रास्ता मौके पर व राजस्व रिकार्ड में दर्ज होते हुए भी इसे अनदेखा करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार चौहटन से मौका रिपोर्ट तलब की और अपीलांट को सुने बिना उक्त मौका रिपोर्ट पर अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा निर्णय पारित किया। जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ एवं विधि सम्मत नहीं है एवं अपीलांट को दोहरा नुकसान पहुंचाने के लिए नये रास्ते की मांग की गई जो न्याय संगत व उचित नहीं है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य निर्णय निरस्त कर अपीलांट की अपील स्वीकार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने बहस करते हुए बताया कि रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के खेत खसरा संख्या **237/156** में जाने के लिए इस रास्ते के अलावा कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अपीलांटगण द्वारा सुझाया गया वैकल्पिक रास्ता दुर्गम धोरा एवं आवगमन के लिए सुगम नहीं होने से रेस्पोडेंट को उक्त रास्ते की अत्यंत आवश्यकता है। रास्ता रेस्पोडेंट/प्रार्थी की मूलभूत आवश्यकता है जिसका प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए में किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को यथावत रखा जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। ग्राम सियागपुरा तहसील चौहटन की जमाबंदी संवत 2068–2071 के खाता संख्या 19 से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 284/156 रकबा 02 बिस्वा भूमि का राज्य हक में समर्पण होकर जरिये नामांतरकरण संख्या 206 दिनांक 07.09.2012 अमल दरामद हुआ। इस भूमि का खेत खसरा संख्या 238/156 के खातेदार चुतरा पुत्र पदमा ने समर्पण किया, जिसका नक्शा (जारी दिनांक 4606/30.12.2012) पत्रावली पर है। समर्पण की गई यह भूमि खसरा संख्या 237/156 की सीमा तक है जो नक्शे के लाल स्याही से इंगति होकर स्पष्ट है। फर्द मौका दिनांक 10.12.2012 में अंकित नक्शे में बरंग हरा A से B रास्ता तथा खसरा संख्या 284/156 बरंग लाल से स्पष्ट दर्शाये गए है। इसमें प्रस्तावित मार्ग A से B में कुल रकबा 15 बिस्वा आता है जबकि ठीक पास में उपलब्ध राजकीय सिवायचक भूमि रकबा 02 बिस्वा उतरदातागण के खेत के अत्यधिक निकट है जिसके रास्ते के लिए उपयोग लेने हेतु उसे कोई राशि अदा नहीं करनी। **यह उसके लिए रास्ते हेतु सर्वोतम एवं निकटतम विकल्प मौजूद है। पूर्व में प्रस्तावित रास्ते से अपीलांट का खेत खसरा संख्या 238/156 दो भागों में विभक्त हो जाता है जो उसके लिए पृथक हुए एक अत्यंत छोटे भाग का कृषि कार्य हेतु उपयोग में लेना असुविधाजन है।** इस प्रस्तावित रास्ते के कटाण से उसे दोहरा भूमि नुकसान जेलना पड़ेगा जो किसी भी कृषक के लिए असहनीय होता है। रास्ते हेतु अन्य खातेदार के खेत को दो टुकड़ों में बांटकर बीच में रास्ता देना किसी भी दृष्टि से युक्तियुक्त नही है। न्यायालय में उभयपक्ष को समझाईश की गई। उतरदातागण को खसरा संख्या 284/150 का उपयोग रास्ते के लिए करने को कहा गया तो उन्होने अवगत कराया कि इस रास्ते पर ऊंचा धोरा है जो आवागमन में सुगम नहीं है। इसके लिए अपीलांट पक्ष को उतरदातागण के खेत की सीमा तक खसरा संख्या 284/156 में अपने खर्चे से भूमि को समतल कर सुगम रास्ता बना देने का प्रस्ताव दिया गया जिसे उसने बाद समझाईश स्वीकार कर लिय लिहाजा दिनांक 07.03.2019 से इस हेतु समय दिया जाकर पत्रावली तारीख पेशी दिनांक 05.04.2019 को मुकर्रर की। मुताबिक न्यायालय समझाईश **मौके पर पटवारी लीलसर से कराये गए सत्यापन एवं फोटोज से ज्ञात हुआ कि अपीलांट ने जरिये ट्रेक्टर कराली रास्ता समतल कर दिया है जो उतरदातागण के खेत की सीमा तक आवागमन हेतु अब सुगम है।** उजागर तथ्य उतरदातागण की ओर से प्रस्तुत आवेदन आदेश 18 नियम 18 सपठित धारा 151 के लिए की मांग के संदर्भ में पर्याप्त होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

से औचित्यहीन है, जो उतरदातागण की नकारात्मक मंशा को जाहिर करता है उसकी असहमति दर्शाता है।

उपरोक्त विवेचन के आलोक में अपीलांट की अपील स्वीकार कर उतरदातागण को उसके खेत से आवागमन हेतु सुलभ, सुगम एवं निकटतम रास्ता राजकीय भूमि से होते हुए डामर सड़क तक उपलब्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.04.2013 को अपास्त किया जाकर इसके अनुक्रम में की गई समस्त आनुषांगिक कार्यवाहियों को भी निरस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

5/4/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

5/4/19

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

राजस्व अपील अधिकारी बाड़मेर

Scanned by CamScanner